राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

विज्ञापन संख्या : 5/परीक्षा/लेखा–क.लेखा/2011–2012/ **दिनांक : 06.09.2011**

लेखाकार एवं कनिष्ठ लेखाकार सीधी भर्ती संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2011

1. राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963 के अन्तर्गत कोष एवं लेखा विभाग के लिये लेखाकार एवं कनिष्ठ लेखाकार पदों हेतु निर्धारित **ऑन लाइन आवेदन पत्र** (On Line Application form) **आमंत्रित किए जाते है।**

विशेष नोटः– (1) On line Application Form में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर अभ्यर्थी का आवेदन रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी तथा गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन में सुधार हेतु पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(2) आरक्षण की स्थिति एवं नियुक्ति प्रक्रिया राज्य सरकार के निर्देशों एवं नवीनतम नियमों के अध्यधीन परिवर्तनीय होगी।

2. **आवेदन प्रक्रिया–** आवेदन On line Application Form में लिये जाएंगे, जिन्हें **राज्य के निर्धारित ई–मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.)** के माध्यम से भरा जा सकता है। इस हेतु अभ्यर्थी द्वारा **रुपये 40/– (रुपये 35/–** आवेदन–पत्र भरने हेतु + **रुपये 5/–** परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु) की राशि सेवा प्रदाता को सेवा शुल्क के रूप में देनी होगी। आवेदक यदि स्वयं अपने स्तर पर ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरना चाहता है, तो वह **ई–मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र** पर केवल परीक्षा शुल्क जमा कराकर आयोग की वेबसाइट **http://www.rpsc.gov.in** से स्वयं आवेदन भर सकता है। इस स्थिति में उसे वहां परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु मात्र **रुपये 5/–** ही सेवा शुल्क देना होगा। ऑन–लाइन आवेदन–पत्रों को भरने के लिये अनुदेश व प्रपत्र उक्त वेब–साइट पर उपलब्ध है। कियोस्क द्वारा आवेदन भरवाने पर आवेदक को रुपये 35/– की रसीद पृथक से कटवानी होगी। **हाथ से भरे गए आवेदन–पत्र किसी भी रूप में आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।**

3. **प्रवेश–पत्र** –आयोग द्वारा समस्त ऑन लाइन आवेदनों में वेब–साइट के माध्यम से ही ऑन लाइन प्रवेश–पत्र जारी किए जाएंगे और आयोग द्वारा डाक से कोई भी प्रवेश–पत्र नहीं भेजा जाएगा। वेब–साइट पर प्रवेश–पत्र जारी किए जाने की सूचना परीक्षा की तिथि तय होने के उपरान्त समाचार पत्रों एवं वेब–साइट के माध्यम से शीघ्र जारी की जाएगी। अभ्यर्थी अपना प्रवेश–पत्र वेब–साइट से प्राप्त करने हेतु **आवेदन–पत्र क्रमांक** एवं जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) पर फीस जमा कराने का **टोकन नम्बर** ध्यान में रखें। उपलब्ध संसाधनों एवं सुविधा के आधार पर प्रवेश–पत्र सम्बन्धी सूचना अभ्यर्थी के **ई–मेल आई.डी. (e-mail ID)** एवं मोबाइल नंबर पर भी भेजी जा सकती है।

4. **परीक्षा शुल्क :–** आवेदक अपनी श्रेणी के अनुरूप निम्नानुसार परीक्षा शुल्क **राज्य के निर्धारित ई–मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.)** के माध्यम से आयोग को भेजें:–

(क) सामान्य वर्ग व क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु – **रुपये 250/–**

(ख) राजस्थान के नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु– **रुपये 150/–**

(ग) समस्त निःशक्तजन तथा राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के आवेदक हेतु– **रुपये 50/–**

नोट :–1. ऑनलाइन आवेदन का निर्धारित सेवा शुल्क **रुपये 40/– (रु. 35/–** आवेदन पत्र भरने हेतु + **रुपये 5/–** परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु) अतिरिक्त रूप में सभी को देने होंगे।

2. ऑनलाइन आवेदन में सुविधा हेतु आवेदक आवेदन–पत्र का प्रारूप आयोग की वेबसाईट से डाउनलोड कर लें और उसे ऑनलाइन आवेदन से पूर्व हाथ से भर लें। यह प्रारूप ई–मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र पर निःशुल्क उपलब्ध होगा।

3. आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र अंतिम रूप से भेजने से पूर्व उसकी प्रविष्टियों का प्रिंट आउट लेकर आश्वस्त हो लें कि सभी प्रविष्टियां सही–सही भरी गईं हैं।

4. आवेदकों की सुविधा के लिए राज्य के समस्त ***ई–मित्र कियोस्क*** *तथा* ***जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.)*** की सूची आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। राजस्थान राज्य से बाहर के अभ्यर्थी जहाँ ***ई–मित्र कियोस्क*** *तथा* ***जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.)*** नहीं हैं वे आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध सूची से उनसे व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क कर परीक्षा शुल्क जमा करा सकते हैं। उनकी सुविधा के लिए उनके दूरभाष नम्बर भी उपलब्ध हैं।

5. **लेखाकार एवं कनिष्ठ लेखाकार के रिक्त पदों का विवरण**

पद का नाम/कुल पद		सामान्य वर्ग				अनुसूचित जाति वर्ग				अनुसूचित जनजाति वर्ग				पिछडा वर्ग				विशेष पिछडा वर्ग				Horizontal		
		सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	उत्कृष्ट खिलाड़ी	निःशक्तजन One leg (LD/CP)	राजस्थान सरकार के समस्त विभागों के मंत्रालयिक कर्मचारी
लेखाकार	395	159	46	18	4	28	9	3	–	21	7	2	–	67	19	7	1	4	–	–	–	–	12	
TSP क्षेत्र	18	–	–	–	–	1	–	–	–	12	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
कनिष्ठ लेखाकार	924	325	93	37	9	103	31	11	2	77	23	8	2	136	40	15	3	7	2	–	–	19	28	120
TSP क्षेत्र	37	–	–	–	–	3	–	–	–	24	8	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

नोटः– 1. निःशक्तजन के पदों का आरक्षण दण्डवत (Horizontal) होगा।

2. टी.एस.पी. क्षेत्र के सामान्य पद, विज्ञापित सामान्य पदों में सम्मिलित है तथा राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 12.09.07 के अनुसार दर्शाए गये अनुसूचित क्षेत्रों (TSP Area) के अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित पद अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय सदस्यों से भरे जाएंगे।

6. **शैक्षणिक योग्यता :**

लेखाकार के पदों हेतु :

1. आवेदक भारत में विधि द्वारा संस्थापित किसी विश्वविद्यालय की कला, विज्ञान या वाणिज्य में स्नातक उपाधि अथवा आयोग के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा तत्समान घोषित किसी विदेशी विश्वविद्यालयय की उपाधि जो भारत में विधि द्वारा संस्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि के समकक्ष मान्य हो, प्राप्त हो अथवा कॉस्ट एन्ड वर्क्स अकाउन्टेट संस्थान, कलकत्ता से इण्टरमीडिएट परीक्षा या चार्टर्ड अकाउन्टेट ऑफ इन्डिया संस्थान, नई दिल्ली से इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण हो।

और

इलैक्ट्रोनिक्स विभाग, भारत सरकार के नियंत्रणाधीन डीओईएसीसी द्वारा संचालित ''ओ'' या उच्चतर लेवल प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम। ("O" or Higher Level Certificate Course conducted by DOEACC under control of the Department of Electronics, Government of India.)

या

व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कीम की राष्ट्रीय/राज्य परिषद् के अधीन आयोजित कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग सहायक (क.ऑ.प्रो.स./डाटा प्रेपरेशन और कम्प्यूटर सोफ्टवेअर (डा.प्रे.क.सो.) प्रमाणपत्र। (Computer Operator & Programming Assistant

क्रमशः.....

(COPA)/Data Preparation and Computer Software (DPCS) certifcate organized under National/State Council of Vocational Training Scheme.)

या

भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्था से कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा।(Diploma in Computer Science/Computer Applications of a University established by Law in India or of an institution recognized by the Governement.)

या

सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त पॉलिटेक्निक संस्था से कम्प्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी में डिप्लोमा।(Diploma in Computer Science & Engineering from a polytechnic institution recognized by the Government.)

या

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा संचालित, राजस्थान नॉलेज कार्पोरेशन लिमिटेड के नियंत्रणाधीन राजस्थान राज्य सूचना प्रौद्योगिकी में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (रा.रा.सू.प्रौ.प्र.पा.) (Rajasthan State Certificate Course in Information Technology(RS-CIT) conducted by Vardhaman Mahaveer Open University, Kota under control of Rajasthan Knowledge Corporation Limited.)

कनिष्ठ लेखाकार के पदों हेतु :

आवेदक भारत में विधि द्वारा संस्थापित किसी विश्वविद्यालय की कला, विज्ञान या वाणिज्य में स्नातक उपाधि अथवा आयोग के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा तत्समान घोषित किसी विदेशी विश्वविद्यालयय की उपाधि जो भारत में विधि द्वारा संस्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि के समकक्ष मान्य हो, प्राप्त हो ।

और

इलैक्ट्रोनिक्स विभाग, भारत सरकार के नियंत्रणाधीन डीओईएसीसी द्वारा संचालित ''ओ'' या उच्चतर लेवल प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम। ("O" or Higher Level Certificate Course conducted by DOEACC under control of the Department of Electronics, Government of India.)

या

व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कीम की राष्ट्रीय/राज्य परिषद् के अधीन आयोजित कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग सहायक (क.ऑ.प्रो.स.)/डाटा प्रेपरेशन और कम्प्यूटर सोफ्टवेअर (डा.प्रे.क.सो.) प्रमाणपत्र। (Computer Operator & Programming Assistant (COPA)/Data Preparation and Computer Software (DPCS) certifcate organized under National/State Council of Vocational Training Scheme.)

या

भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्था से कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा। (Diploma in Computer Science/Computer Applications of a University established by Law in India or of an institution recognized by the Governement.)

या

सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त पॉलिटेक्निक संस्था से कम्प्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी में डिप्लोमा। (Diploma in Computer Science & Engineering from a polytechnic institution recognized by the Government.)

या

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा संचालित, राजस्थान नॉलेज कार्पोरेशन लिमिटेड के नियंत्रणाधीन राजस्थान राज्य सूचना प्रौद्योगिकी में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (रा.रा.सू.प्रौ.प्र.पा.) (Rajasthan State Certificate Course in Information Technology(RS-CIT) conducted by Vardhaman Mahaveer Open University, Kota under control of Rajasthan Knowledge Corporation Limited.)

उपरोक्त दोनों सेवाओं के लिये :

2. देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी का व्यवहारिक ज्ञान तथा राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान।

स्पष्टीकरण:– नियमानुसार कला या विज्ञान की स्नातक उपाधि की सीमा में कृषि, मेडिसिन, इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलोजी की उपाधियां नहीं मानी जायेगी ।

आवश्यक नोट :– परन्तु यह कि उपरोक्त योग्यता के पाठ्यक्रम अन्तिम वर्ष की परीक्षा जो सीधी भर्त्ती के लिए नियमों या अनुसूची यथा उल्लिखित अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता है में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा किन्तु उसे आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा की दिनांक तक शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा, अन्यथा आवेदक अपात्र माना जावेगा।

7. **अवसर :** नियमानुसार लेखाकार एवं कनिष्ठ लेखाकार के पदों हेतु अभ्यर्थियों को केवल तीन अवसर देय होंगे परंतु राजस्थान के अ.जा. एवं अ.ज.जा. के आवेदकों हेतु यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा।

लेखाकार एवं कनिष्ठ लेखाकार के लिये संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा हेतु प्रश्न–पत्रों की स्कीमः–

1. प्रतियोगी परीक्षा में निम्नलिखित प्रश्नपत्र होंगे और प्रत्येक प्रश्न पत्र उसके सामने यथादर्शित अंकों और समय का होगा।

प्रश्नपत्र–I

क्र.सं.	विषय	अंक	अवधि
1.	हिन्दी (Hindi)	75	2.30 घण्टे
2.	अंग्रेजी (English)	75	
3.	सामान्य ज्ञान (General Knowledge) (राजस्थान के संदर्भ में)	75	
4.	दैनिक विज्ञान (Every Day Science)	75	
5.	गणित (Mathematics)	75	
6.	कम्प्यूटर के मूल सिद्धान्त (Basics of Computer)	75	
	कुल	***450***	

नोट:– गणित और कम्प्यूटर के मूल सिद्धान्त को छोड़कर, जो सैकण्डरी स्तर के होंगे, प्रश्नपत्र सीनियर सैकण्डरी स्तर का होगा। (The paper shall be of Senior Secondary standard, except Mathematics and Basics of Computer which shall be of Secondary Standard.)

प्रश्नपत्र–II

क्र.सं.	विषय	अंक	अवधि
1.	बही खाता (बुक कीपिंग) और लेखा विधि (Book Keeping and Accountancy)	75	
2.	व्यवसाय पद्धति (Business Methods)	75	

3.	लेखा परीक्षा (Auditing)	75	2.30 घण्टे
4.	भारतीय अर्थशास्त्र (Indian Economics)	75	
5.	रा.से.नि. खण्ड I (अध्याय II, III, X XI, XIII, XIV, XV और XVI) (RSR Vol. I (Chapter II, III, X, XI, XIII, XIV, XV & XVI) Rajasthan Civil Service Joining Times Rules, 1981	75	
6.	सा.वि.ले.नि.–भाग I (अध्याय 1,2,3,4,5,6,14 और 17) (GF & AR-Pt. I (Ch.1,2,3,4,5,6,14 and 17)	75	
	कुल	***450***	

नोट:–क्रम सं. 5 और 6 पर उल्लिखित विषयों को छोड़कर प्रश्नपत्र स्नातक स्तर का होगा।

2. एकल स्तरीय परीक्षा होगी। प्रत्येक प्रश्नपत्र अर्थात् प्रश्नपत्र–I और प्रश्नपत्र–II दोनों वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे।

3. **अधिकतम अंक और ऋणात्मक अंकन**

प्रश्नपत्र–I और प्रश्नपत्र–II के अधिकतम अंक प्रत्येक के लिए 450 होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक प्रदान किये जायेंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक कम किया जायेगा।

4. **अर्हक अंक**

प्रश्नपत्र–I और प्रश्नपत्र–II प्रत्येक में न्यूनतम 35% और कुल मिलाकर 40% । तथापि, अ.जा./अ.ज.जा. अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अंकों में 5% तक का शिथिलीकरण लागू होगा। कोई मौखिक परीक्षा नहीं होगी।

8. **आयु** : आवेदक 1, जनवरी 2012 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 35 वर्ष का नहीं हुआ हो,

परन्तु यह कि:– **''जिस भर्ती की वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिए भर्ती नहीं हुई हो और यदि कोई अभ्यर्थी उस वर्ष की आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जावेगा, किन्तु यह छूट 3 वर्ष से अधिक नही दी जावेगी।''**

नोट :– लेखाकार, कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार प्रतियोगी परीक्षा, 2008 के तहत नियमानुसार आयु की गणना दिनांक 01.01.2009 को आंकी गई थी, ऐसी स्थिति में अब उक्त परन्तुक के तहत 2 वर्ष की छूट दी जायेगी।

1. अपवादीय मामलों में राज्य सरकार आयोग से परामर्श लेकर 5 वर्ष की छूट दे सकती है ।
2. उपर उल्लिखित उच्चतम आयु सीमा में –
   (क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति /पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों को जो राजस्थान के स्थायी निवासी है, के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी ।
   (ख) सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी ।
   (ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/ पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को जो राजस्थान के स्थायी निवासी है, के मामले में 10 वर्ष की छूट दी जायेगी ।
3. रिजर्विस्टों अर्थात रिजर्व में स्थानान्तरित रक्षा कार्मिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी ।
4. भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर अधिष्ठायी (Substantive) तौर पर कार्य कर चुके हों और इन नियमों के तहत नियुक्ति के पात्र थे के लिए ऊपर लिखी अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी ।
5. उस भूतपूर्व कैदी के मामले में जो दण्डित होने से पूर्व अधिकायु नहीं था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति के पात्र था, के लिए ऊपर लिखी अधिकतम आयु सीमा में उसके कारावास काल के बराबर छूट दी जायेगी ।
6. राजस्थान राज्य सरकार के कारोबार में संस्थाई (Substantive) रूप से कार्यरत कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी ।
7. पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य के सार्वजनिक क्षैत्र के उपक्रमों/निगमों के कार्यकलापों के सम्बंध में अधिष्ठायी (Substantive) सेवारत व्यक्तियों की अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी ।
8. निर्मुक्त आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों और लघु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को सेना से निर्मुक्त होने के पश्चात आयु सीमा में ही समझा जायेगा चाहे उन्होने आयोग के समक्ष उपस्थित होने के समय आयु सीमा पार कर ली हो बशर्ते कि वे सेना में कमीशन ग्रहण करने के समय आयु सीमा की दृष्टि से पात्र थे ।
9. पूर्वी अफीका के देश कीनिया, तंजानिया, उगांडा एवं जंजीवार से प्रत्यावर्तित व्यक्तियों के लिए आयु सीमा का प्रतिबन्ध नहीं है।
10. एन.सी.सी के कैडिट प्रशिक्षकों के मामले में उपरिवर्णित अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा एन.सी.सी. में की गई सेवा की कालावधि के बराबर छूट दी जायेगी और यदि पारिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो उन्हें विहित आयु सीमा में ही समझा जायेगा ।
11. 1971 के भारत–पाक युद्ध के दौरान पाकिस्तान से प्रत्यावर्तित व्यक्तियों के लिए आयु सीमा का प्रतिबन्ध नहीं है।
12. विधवाओं और विछिन्न–विवाह महिलाओं के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी ।
    स्पष्टीकरण– विधवा महिला के मामले में उसे किसी सक्षम प्राधिकारी का अपने पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और विछिन्न विवाह महिला के मामले में उसे विवाह विच्छेद का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
13. राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का नियोजन नियम के अधीन विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति के लिये सेवा नियमों में विहित अधिकतम आयु सीमा को सुसंगत सेवा नियमो के अधीन पहले से विहित शिथिलीकरण को सम्मिलित करते हुए उपरोक्त वर्णित अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट देय :–
    1 सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु 10 वर्ष
    2 पिछडा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु 13 वर्ष
    3 अ0जा0/अ0ज0जा0 के अभ्यर्थियों हेतु 15 वर्ष

नोट :–

(क) रिजर्विष्ट/संस्थाई आवेदक को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट तभी दी जावेगी यदि वह आयोग कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्त करने के अन्तिम दिनांक तक रिजर्विष्ट/संस्थाई की श्रेणी में हों अन्यथा आवेदक को अधिकतम आयु सीमा में छूट नहीं दी जावेगी और आवेदक को अधिकायु रहने से उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जावेगा।

(ख) अधिक जानकारी के लिए संबंधित सेवा नियमों का अध्ययन करें।

(ग) उपरोक्त पैरा 8 के प्रावधान संख्या 1 से 13 पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान "Non Cumulative'' है अर्थात अभ्यर्थियों को उपरोक्त पैरा 1 से 13 में वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा ।

(घ) जिस आरक्षित वर्ग में महिलाओं के पद आरक्षित नहीं होंगे उन्हें आयु सीमा की छूट उसी वर्ग के पुरूष को देय छूट के अनुसार ही देय होगी।

विशेष सूचना :–

1. उपरोक्तानुसार निःशक्तजन के लिये दर्शाये गये आरक्षित पदों का आरक्षण दण्डवत (Horizontal) रूप से है अर्थात जिस वर्ग (SC/ST/BC/SBC/GEN) का अभ्यर्थी उपलब्ध होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जावेगा ।
2. महिलाओं हेतु आरक्षित पद का आरक्षण दण्डवत (Horizontal) रूप से प्रवर्गानुसार (category wise) है। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस सम्बंधित प्रवर्ग में, जिसकी वे महिला अभ्यर्थी है, अनुपातिक रूप से समायोजित किया जायेगा ।

A स्पष्टीकरण : किसी वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ पिछडा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग) की पात्र एवं उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के सामान्य अभ्यर्थियों से भरा जायेगा। पिछड़ी एवं विशेष पिछड़ी जाति की विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी नॉन क्रीमीलेयर का नवीनतम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, तो ही आरक्षण का लाभ देय होगा अन्यथा नही। पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

B महिलाओं हेतु आरक्षित दर्शाए गए पदों में से नियमानुसार 8 प्रतिशत पद विधवा एवं 2 प्रतिशत परित्यक्ता (विच्छिन्न विवाह महिला) महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। किसी वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग) की पात्र एवं उपयुक्त विधवा/परित्यक्ता महिला (विछिन्न विधवा महिला) अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग की अन्य सामान्य महिला अभ्यर्थियों से भरा जाएगा।

3. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति/ पिछड़ा एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के आरक्षित पद केवल अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति/ पिछड़ा एवं विशेष विछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों जो राजस्थान राज्य के स्थायी निवासी है से ही भरे जायेगें। **राजस्थान राज्य के स्थायी निवासी नहीं होने पर आवेदक को सामान्य वर्ग का माना जावेगा ।**

4. अ0जा0/अ0ज0जा0 के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इनके आरक्षित पदों को सामान्य/ पिछड़ा एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों से नहीं भरा जायेगा । राजस्थान के पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपब्लब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जायेगा ।

5. **निः शक्त व्यक्तियों के लिए :–** i राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों का नियम के अनुसार उपरोक्त दर्शाई गई अक्षमताओं की प्रकृति वाले अभ्यर्थियों को निम्न प्रकार से अभिव्यक्त किया जाता है :–

Locomotor Disability & cerebral palsy (LD & CP)
O.L. - One leg affected (R or L)
(a) Impaired reach (b) Weakness of grip (c) at axic
B.L. - Both legs affected but not arms.

ii. निःशक्तजन के लिए दर्शाए गए आरक्षित पदों का आरक्षण भी क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति/पिछडा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा।

iii उपरोक्त दर्शाए गए निःशक्तजन के आरक्षित पदों के लिए पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नही होने की स्थिति में इन पदों को राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का नियोजन नियम के अनुसार भरा जावेगा। निःशक्तजन के उक्त नियम के नियम 5 (4) के अनुसार उपरोक्त निःशक्त व्यक्तियों की अनुपलब्धता के कारण या अन्य किसी भी पर्याप्त कारण से पद भरा नहीं जा सकता हो वहां ऐसी रिक्ति को 3 भर्ती वर्षो तक अग्रणीत किया जाएगा।

iv निःशक्तजन आवेदक On line Application Form में यथास्थान पर अपने वर्ग एवं निःशक्तता की श्रेणी विशेष का अवश्य उल्लेख करें।

v ऐसे आवेदक जो निःशक्तता की श्रेणी में आते हैं, अपनी निःशक्तता के सम्बन्ध में राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का नियोजन नियम के नियमानुसार राजस्थान राज्य के किसी राजकीय अस्पताल के गठित मेडिकल बोर्ड (राजस्थान राज्य सरकार के नियमानुसार गठित तीन चिकित्सा अधिकारी वाला बोर्ड) द्वारा प्रदत्त निःशक्तता का स्पष्ट प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों के नियोजन नियम के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता का प्रमाण–पत्र जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक निःशक्तता का होने पर ही आवेदक निःशक्त व्यक्तियों हेतु आरक्षित पदों हेतु पात्र माना जाएगा।

6 विज्ञापन जारी होने के उपरान्त विज्ञापित **पदों की संख्या में कमी या बढोत्तरी** की जाती है तो जिसके लिये अलग से कोई सूचना/शुद्धि पत्र जारी नहीं किया जावेगा ।

7 ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 1–6–2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक बच्चे हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगाः परन्तु दो से अधिक सन्तानों वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यमान उसके सन्तानों की संख्या में बढ़ोत्तरी नहीं होती :

परन्तु यह और कि जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चातवर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं वहॉ बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा ।

परन्तु यह भी कि किसी अभ्यर्थी की सन्तानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी सन्तान की, जो पूर्वतर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो, गणना नही की जाएगी।

8 पेंशनः– नये भर्ती/नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिये नियमाानुसार दिनांक 1–1–2004 से अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी ।

9 ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जो कि दिनांक 20.01.2006 के पश्चात् राज्य सेवा में नियुक्तियों दो वर्ष के परीवीक्षा प्रशिक्षण अवधि के लिए की जायेगी। इस अवधि के दौरान पद की वेतन श्रृंखला न देकर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर नियम पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) देय होगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते यथा मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होंगे।

परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधाएं एवं अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में निहित संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होगें परीवीक्षा प्रशिक्षण अवधि के संतोषजनक पूर्ण होने के उपरांत ही पद की वेतन श्रृखला का न्यूनतम एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे। **लेखाकार के लिएः– पद का वेतनमान रनिंग पे बेण्ड सं. –2 (9300–34800 रू.) ग्रेड पे रू. 3600 एवं कनिष्ठ लेखाकार के लिएः– वेतनमान रनिंग पे बेण्ड सं. –2 (9300–34800 रू.) ग्रेड पे रू. 3200 मासिक नियत पारिश्रमिक नियमानुसार।**

10 आवेदक के विवाहित होने की सूरत में आवेदन पत्र में पति/पत्नि के नाम का उल्लेख करना तथा विवाह पंजियन प्रमाण पत्र या विवाह पंजीकृत नहीं होने की स्थिति में शपथ पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक है ।

9. **आवेदन पत्र प्राप्ति का अन्तिम दिनांक — अन्तिम दिनांक 05 अक्टूबर, 2011 को रात्रि 12.00 बजे तक (इसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जाएगा।)** आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑन लाईन आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किए बिना समय सीमा के भीतर ऑन लाईन आवेदन करे।

10. **परीक्षा का माह एवं दिनांक–** परीक्षा माह **नवम्बर–दिसम्बर** में राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर अथवा आवेदन पत्रों की संख्या के आधार पर सम्भागीय जिला मुख्यालयों पर ली जाने की संभावना है। परीक्षा दिनांक एवं स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित है। अतः आवेदक किसी एक परीक्षा केन्द्र के जिले का नाम भरे।

11. **अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में :–** सभी आवेदक चाहे वे पहले से सरकारी नौकरी में हों या सरकारी औद्योगिक उपकमों में हों या इसी प्रकार के अन्य संगठनों में हों या गैर सरकारी संस्था में नियुक्त हों, अपने आवेदन पत्र आयोग को सीधे ही भेजने चाहिये । आयोग कार्यालय में अन्तिम दिनांक के पश्चात पहुंचने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे भले ही आवेदक द्वारा आवेदन पत्र अपने नियोक्ता को अन्तिम दिनांक के पूर्व प्रस्तुत किया गया हो । जो आवेदक पहले से कार्यरत है उन्हे अपने नियोक्ता को इस परीक्षा के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पूर्व ही लिखित में सूचित कर स्वीकृति प्राप्त कर लेनी चाहिये यदि नियोक्ता द्वारा आयोग को आवेदक द्वारा सूचना/अनुमति हेतु आवेदन नहीं किये जाने की अथवा आवेदक को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दिये जाने का सूचित किया जाता है तो आवेदक की अभ्यर्थिता तुरंत प्रभाव से किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है ।

12. <u>नियुक्ति के लिये अयोग्यता</u> :–

1. किसी भी ऐसे पुरूष उम्मीदवार को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। किसी अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।
2. किसी भी ऐसी महिला उम्मीदवार को जिसने उस पुरूष से विवाह किया है जिसके पहले जीवित पत्नी है नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। किसी महिला अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।
3. ऐसा कोई अभ्यर्थी, जिसके 1.6.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक बच्चे हो सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा :– परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोत्तरी नहीं होती :

   परन्तु यह और कि जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चातवर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते है वहाँ बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा।

   परन्तु यह भी कि किसी अभ्यर्थी की सन्तानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी सन्तान की, जो पुर्वतर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो गणना नहीं की जावेगी।
4. शासन के परिपत्र क्रमांक प.6(19) गृह–13/2006 दिनांक 22.5.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्संबंधी प्रमाण पत्र यथा समय वांछनीय होगा।
5. किसी भी विवाहित अभ्यर्थी को नियुक्ती के लिये पात्र नहीं माना जावेगा यदि उसने अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया होगा।
6. आयोग द्वारा किसी भी परीक्षा में वंचित (Debar) किये गये ऐसे आवेदक जिनके वंचित (Debar) होने की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है, इस परीक्षा हेतु आवेदन नहीं करें।

13. <u>आवेदन कैसे करें</u> :–

अभ्यर्थी जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है उस श्रेणी में ही आवेदन प्रस्तुत करें।

<u>नोट</u> – राजस्थान के पिछड़ा वर्ग/ विशेष पिछड़ा वर्ग की क्रीमिलेयर श्रेणी के अभ्यर्थी तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर एवं नॉन क्रीमिलेयर) के आवेदक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते है। अभ्यर्थी जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है उस श्रेणी के रूप में ही आवेदन प्रस्तुत करें

<u>कृपया ध्यान दें</u> :–

1. ऑन लाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक प्राप्त होने पर स्वीकार किया जाएगा। आवेदक आवेदन पत्र प्रेषित करने के पूर्व यह सूनिश्चित कर ले कि वह विज्ञापन के नियमानुसार पात्रता की समस्त शर्त पूरी करता है एवं पद के सम्बन्ध में चाही गई आवश्यक समस्त सूचनाएं संबंधित कॉलम में सही–सही एवं पूर्ण भरी गई है। समस्त प्रविष्टियां पूर्ण एवं सही नहीं होने की स्थिति में आयोग द्वारा आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा अथवा ऑन लाईन आवेदन पत्र में भरी गई सूचना को ही सही मानते हुए परीक्षा में अस्थाई प्रवेश दिया जाएगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

2. आवेदको को हिदायत दी जाती है कि ऑन लाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व आयोग के विज्ञापन एवं ऑन लाइन आवेदन पत्र भरने के निर्देशों के साथ–साथ संबंधित सेवा नियमों का अध्ययन कर लें।

3. आयोग कार्यालय द्वारा ऑन लाइन आवेदन पत्र भरी गई सूचनाओं के आधार पर ही आवेदक की पात्रता (आयु, योग्यता, श्रेणी आदि) की जांच की जाएगी। यदि आवेदक द्वारा भरी गई सूचना के आधार पर वह अपात्र पाया जाता है तो उसका ऑन लाइन आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। ऑन लाइन आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियों में अन्तिम दिनांक के बाद में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नही दी जाएगी और ना ही इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाएगा।

4. आवेदकों की सुविधा हेतु विस्तृत विज्ञापन राजस्थान रोजगार सन्देश के आगामी संस्करण में प्रकाशित किया जा रहा है एवं आयोग की वेबसाईट **www.rpsc.gov.in या rpsconline.rajasthan.gov.in** पर भी उपलब्ध है ।

<u>विशेष टिप्पणी</u> **:–**

(1) परीक्षार्थी परीक्षा के समय प्रश्न पत्र में रही किसी भी त्रुटि अथवा किसी प्रकार की शिकायत के सम्बन्ध में परीक्षा समाप्ति के पश्चात 72 घण्टे में (तीन दिवस) के भीतर अपना लिखित अभ्यावेदन/शिकायत स्पीड पोस्ट के माध्यम से सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को प्रस्तुत कर दें। नियत समय में प्राप्त होने वाले अभ्यावेदन/शिकायत पर आयोग द्वारा यथोचित कार्यवाही की जावेगी। तीन दिवस के पश्चात् प्राप्त होने वाले अभ्यावेदनों पर आयोग द्वारा किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा।

(2) कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाइल फोन, पर्स इत्यादि लेकर नहीं आएं। परीक्षार्थी अपने साथ परीक्षा में परीक्षा उपयोग के लिए आवश्यक जैसे पेन, पेंन्सिल, प्रवेश–पत्र या आयोग द्वारा निर्देशित सामग्री ही कक्ष में ले जा सकता है। यदि परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाइल व अन्य अनावश्यक वस्तुएं साथ लाता है तो उन्हें जब्त किया जा सकता है तथा उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी परीक्षा केन्द्राधीक्षक/संचालक व राजस्थान लोक सेवा आयोग किसी की भी नहीं होगी।

(3) जिस परिसर के भीतर भर्ती परीक्षण आयोजित किया जा रहा है, वहां मोबाइल फोन, पेजर्स या अन्य कोई संचार यंत्र रखने की अनुमति नहीं है। इन अनुदेशों का उल्लंघन किए जाने पर सम्बन्धित उम्मीदवार के खिलाफ भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

(4) उम्मीदवारों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे भर्ती परीक्षण स्थल पर मोबाइल फोन/पेजर्स सहित प्रतिबंधित वस्तुएं साथ नहीं लाएं क्योंकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित् नहीं की जा सकती है।

नोट :–

1. आवेदक जिनके **Online** आवेदन पत्र अन्तिम दिनांक तक आयोग कार्यालय को पूर्ण सूचना सहित प्राप्त होंगे, ऐसे आवेदकों को आयोग द्वारा अनन्तिम (Provisional) रूप से प्रवेश दिया जायेगा । परीक्षा में केवल मात्र उसे प्रवेश पत्र जारी करने से यह मतलब नहीं है कि आयोग द्वारा उसकी उम्मीदवारी अन्तिम रूप से सही मान ली गई है अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन पत्र में की गयी प्रविष्टियॉ आयोग द्वारा सही और ठीक मान ली गई हैं। आयोग द्वारा उम्मीद्वार की पात्रता की जांच करते समय अथवा मूल प्रलेखों से पात्रता की जांच करते समय यदि आयु, शैक्षणिक योग्यता तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/पिछडा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/निःशक्तजन एवं भूतपूर्व सैनिक, अन्य शर्ते आदि के कारण उसकी अपात्रता का पता चल जाता है तो इस परीक्षा हेतु उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है जिसकी जिम्मेदारी उसकी स्वयं की होगी ।
2. आवेदक राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963 के नियमानुसार अपात्र पाये जाने की स्थिति में अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है ।
3. आयोग द्वारा परीक्षा हेतु किसी भी प्रकार की गाइड बुक आदि का अनुमोदन नहीं किया गया है । परीक्षा का पाठ्यक्रम आयोग की नवीन वैब साइट **www.rpsc.gov.in या rpsconline.rajasthan.gov.in** पर भी उपलब्ध है ।
4. श्रुत लेखक की सुविधा :– सामान्यतया सभी परीक्षार्थियों को प्रश्न–उत्तर स्वयं अपने हाथ से लिखने होंगे, केवल राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का नियोजन नियम, 2000 में वर्णित ऐसे निःशक्त व्यक्ति जो स्वयं अपने हाथ से प्रश्नों के उत्तर लिखने में असमर्थ है, उन्हें आयोग कार्यालय को परीक्षा दिनांक से 15 दिन पूर्व तक प्रार्थना पत्र वांछित प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत करने

पर आयोग द्वारा श्रुत लेखक की सुविधा देय होगी परन्तु अचानक दुर्घटनावश लेखन कार्य से अस्थाई रूप से असमर्थ हुए अभ्यर्थियों को यह सुविधा देय नहीं होगी ।

5. अनुचिंत साधनों की रोकथाम :– परीक्षार्थियों को आयोग/केन्द्राधीक्षक/अभिजागर/आयोग द्वारा नियुक्त अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों को अनिवार्यतः पालन करना होगा, ऐसा न करने अथवा परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने पर एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपभोग करने पर परीक्षार्थी के विरूद्ध आयोग/केन्द्राधीक्षक जो भी उचित समझें कार्यवाही कर सकता है तथा परीक्षार्थी के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 के अन्तर्गत एवं आयोग द्वारा निर्धारित "Punishment for insolent behavior/disorderly conduct/using or attempting to use unfairmeans during the course of examination" के अनुसार कार्यवाही की जा सकती हैं। अभ्यर्थियों के सूचनार्थ निर्धारित दण्ड एवं कारणों की विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाईट पर दी गई है।

14. <u>आयोग की वेबसाइट</u> :– उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट **www.rpsc.gov.in या rpsconline.rajasthan.gov.in** पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते है। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष सं0 0145–5151200, 5151240 एवं 5151302 पर सम्पर्क किया जा सकता है ।

समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को सम्बोधित किया जाये ।

(डॉ. के.के. पाठक)
सचिव